वैज्ञानिक तकनीकों से ही जैव विविधता की रक्षा : डॉ. सिंह

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 26 फरवरी. आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के स्कूल ऑफ साइंसिस द्वारा 'स्पेशल एम्फसिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस' विषय पर 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 'रेस-2026' (रीसेंट एडवांसिस इन कैमिकल एंड एन्वायरोमेंटल साइंसिस-2026) का आयोजन चल रहा हैं। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ. जस्मीत सिंह (साइंस्टि वाल्ड लाइफहेल्थ एंड फॉरेंसिक सेंटर, डीएसवीसी कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीगसगढ़), राजस्थान से साइंटिस्ट डॉ. मुकेश शर्मा, प्रोफेसर देवाशीष बोस (डॉ. हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर), एनएफएसयू दिल्ली से प्रोफेसर आरके सरीन, डॉ. कंचन के. मिश्रा (डेप्युटी डायरेक्टर, सूरत रक्तदान केंद्र एंड रिसर्च सेंटर सूरत), प्रोफेसर आईके पात्रो (इमर्स्टिस्ट साइंटिस्ट आईसीएमआर, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर), डीआरडीई ग्वालियर से साइंटिस्ट डॉ. सरद राय, प्रोफेसर दीपक मिश्रा (असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, एकेएस सतना), प्रोफेसर गौरी खनवल्कर (बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी), लखनऊ से दीपक चंद शर्मा, डॉ. महेश के. गुप्ता, सीनियर साइंटिस्ट डॉ. फैयाज अहमद (बायो डायवर्स्टिटी पार्कस प्रोग्राम, सीईएमडीई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली), उत्कर्ष गहरवार (प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रेसेस डेपलपमेंट, आर एंड डी, टेक इनोवेशन लाइफकेयर लिमिटेड, महापे, नवी मुंबई), डॉ. असगर नबाव (हेड एक्वाइटिक इकोलॉजी, नई दिल्ली), एनएफएसयू दिल्ली से प्रोफेसर आरके सरीन, प्रोफेसर नीलिमा चंदेल (पूर्व वाइस चांसलर, कोटा यूनिवर्सिटी) आदि शामिल हुए। इस अवसर पर आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. योगेश उपाध्याय, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की संयोजक और स्कूल ऑफ साइंसेस की डीन ऋचा कोठारी, डीन अकादमिक प्रोफेसर रंजीत सिंह तोमर, डीन अकादमिक सोनिया जौहरी, डॉ. मुकेश पांडेय, डॉ. मनीष शर्मा, डॉ. दिनेश तोमर, डीएसडब्ल्यू तृप्ति पाठक, डॉ. तियासा सरकार, डॉ. रीता शर्मा, वर्षा चाहान, डॉ. रेखा वशिष्ठ, काजल बट्टा, डॉ. रचना परिहार, डॉ. दिव्या लक्ष्मी, अक्षय सिंह सेंगर, वैष्णवी शर्मा, जान्हवी, वैशाली, रिया सेंगर, किमी मिंज सहित विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, डीन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शोधार्थी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। विशेषज्ञ डॉ. जस्मीत सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों के समन्वित उपयोग से ही हम जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं और वन्य जीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से अवैध शिकार, वन्य जीवों की तस्करी, उनके अंगों के अवैध व्यापार तथा जैव विविधता से जुड़े अपराधों की वैज्ञानिक जांच की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 9 वार्ड क्रमांक 20 स्थान आदर्श कॉलोनी विक्रेता रामकेश बरौलिया/राजकुमार, रामकुमार, बरौलिया/माता प्रसाद के नाम से नगर निगम में सम्पत्ति आईडी क्रमांक 1000082993 पर दर्ज है जिसका क्षेत्रफल 1020 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक .... दिनांक ... द्वारा उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान टप्पा तहसील मुरार पर दिनांक 23/02/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य 66/2010/75571/75664 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 26/2/2026
आवेदक का नाम -कलावती मिश्रा W/O विष्णुदत्त मिश्रा
आदर्श कॉलोनी वार्ड-20

आम सूचना

आप जन साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH, GWALIOR (M.P.) के द्वारा अचल संपत्ति स्थित ग्राम रामगढ़, तहसील डबरा, मंडल ग्वालियर (म.प्र.) लम्बाई 12 मीटर 81 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर 67 सेंटीमीटर है, जिसकी चतुर सीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में- मकान कमला, पश्चिम में- रास्ता आम, दक्षिण में- रास्ता आम, उत्तर में- मकान विक्रेता श्री पोप सिंह बघेल पुत्र श्री टुंडाराम बघेल निवासी- रामगढ़ चौराहा, डबरा, ग्वालियर, डबरा, म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व की संपत्ति है जो कि श्री पोप सिंह बघेल को अपनी माता श्रीमती परमियाबाई पत्नी श्री टुंडाराम बघेल निवासी: रामगढ़ चौराहा, डबरा, ग्वालियर, डबरा (म.प्र.) की मृत्यु दिनांक: 29-12-2016 के उपरांत उत्तराधिकारी के तौर पर प्राप्त हुई है। यह कि, श्री पोप सिंह बघेल श्री टुंडाराम बघेल एवं श्रीमती परमियाबाई के एकमात्र उत्तराधिकारी है, पोप सिंह बघेल के अतिरिक्त श्री टुंडाराम बघेल एवं श्रीमती परमियाबाई का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यह कि उक्त वर्णित सम्पत्ति श्रीमती परमियाबाई को अपने पति श्री टुंडाराम की मृत्यु दिनांक: 31-12-2005 के पश्चात उत्तराधिकारी (पत्नी) के तौर पर प्राप्त हुई थी। यहां की उक्त वर्णित सम्पत्ति श्री टुंडाराम बघेल को श्री घंसू पुत्र श्री परसु, निवासी- रामगढ़, डबरा, मंडल ग्वालियर (म.प्र.) से जरिए पंजीकृत्य विक्रय पत्र क्रमांक: 846, दिनांक: 25-04-1979 से क्रय कर प्राप्त हुई थी। अतः जिस किसी भी व्यक्ति को श्री पोप सिंह बघेल के स्वत्व, स्वामित्व पर हस्तक्षेप हो या श्री टुंडाराम बघेल अथवा श्रीमती परमियाबाई के वारिसान/उत्तराधिकारी होने का दावा करता हो तो स्वयं मेरे कार्यालय या AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH, GWALIOR, (M.P.) पर उपस्थित होकर अपना हस्तक्षेप या दावा आज दिनांक: 27-02-2026 से सात दिन के अंदर दर्ज कराए, उक्त मियाद पश्चात उपरोक्त संपत्ति उक्त वर्णित बैंक में सामय बंधकित किया जावेगा सो सूचित हो, तत्पश्चात आपका हस्तक्षेप या दावा अस्वीकार एवं अमान्य होगा।
दिनांक 26/02/2026

प्रेषक- **संस्कार शर्मा** (अधिवक्ता)
म.प्र. उच्च न्यायालय, ग्वालियर
कार्यालय- 5-B, सतीश निवास, अशोक कॉलोनी, खासगी बाज़ार, लश्कर ग्वालियर,
मो. 9074602044

नामांकन विज्ञप्ति/संशोधन सूचना

दिनांक 26/2/2026 में प्रकाशित क्षेत्र क्रमांक 9 वॉर्ड क्रमांक 27 की नामांकन विज्ञप्ति सूचना में भूलवश आवेदक का नाम गलत छप गया है अतः इसे प्रमोद अटारिया/शंकरदास अटारिया पढ़ा जाएगा विज्ञप्ति कार्य क्रमांक 66/2010/75569/75662 है, शेष यथावत रहेगा।

नाम परिवर्तन

मैं, आर्मी नंबर 15787434 एम, एन के रैंक (एम के) सुनील सिंह 126 लाइट ऐडी रेजीमेंट (कैंप) वर्तमान में महावीर पुरम आदित्यपुरम पोस्ट डीडी नगर जिला ग्वालियर पीन न. 474005 मैं रहता हूं राज्य मध्य प्रदेश मैं घोषणा करता हूं। कि अभी लेख शिट रोल में मेरे आश्रित गलती से मेरे पुत्री का नाम swechha दर्ज है जबकि सही नाम swechha Tomar हैं, नोटरी के समक्ष शपथ लिया गया वीडियो हाफनामा है।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 34 स्थान पारदी मौहल्ला में स्थित है जो कि रामप्रसाद/काशीराम के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000157810 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड उत्तर अधिकार पत्र दिनांक... से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गाँधी मार्केट पर दिनांक 26/02/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 70/2010/ 48451/48432 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 26-2-2026
हरज्ञान जाटव/स्व. रामप्रसाद जाटव
पता: पारदी मौहल्ला, ग्वालियर म.प्र.
मोब: 9770498215

श्याम टेलर का सत्येन्द्र शर्मा ने स्वागत किया

ग्वालियर 26 फरवरी. भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का आज ग्वालियर आगमन पर शीतला सहाय सभागार कैंसर हॉस्पिटल पर डॉक्टर्स और भाजपा के नेताओं से सौजन्य भेंट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सत्येन्द्र शर्मा ने पुष्पमाला से स्वागत किया इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजोरिया ने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्येन्द्र शर्मा का परिचय कराया।

गोबर नाली में बहाने पर वसूला जुर्माना

ग्वालियर 26 फरवरी. नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई निरंतर की जा रही है। जिसके तहत स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान के निर्देशन में वार्ड क्रमांक 43 दाना ओली मनीराम का बड़ा में बद्री प्रसाद मिश्रा द्वारा गोबर नाली में बहाने पर 1000 रूपये, वार्ड क्रमांक 35 में फूल दुकानदारों द्वारा मुख्य मार्ग पर कचरे की कैरी बैग फेंकने पर 2500 रूपये, वार्ड क्रमांक 53 एवं 35 में मुख्य मार्ग पर गंदगी फैलाने पर किया 1000 रूपये का जुर्माना वसूला गया।

संबंध विच्छेद सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि हमारे पक्षकार श्री मोहन सिंह पुत्र स्व.श्री ओछाराम एवं उनकी पत्नी श्रीमती द्रोपदी, निवासीगण गल्ला कोठार, चौहान प्याऊ, ठाटीपुर, ग्वालियर व पुत्री एवं दामाद श्रीमती वर्षा पत्नी श्री रुस्तम सिंह निवासी ग्राम गुर्री, थाना-उटीला, मुरार, ग्वालियर, ने हमारे पक्षकार मोहन सिंह के पुत्र सचिन मित्तल एवं पुत्र-वधु श्रीमती सीमा, के द्वारा लगातार किए गए अभद्रतापूर्ण व्यवहार एवं गलत आचरण से दुखित होकर हमारे पक्षकार और उनके परिजनों ने सचिन और उसकी पत्नी सीमा से सभी प्रकार के सांसारिक, व्यवहारिक, रिश्ते-नाते समाप्त करते हुए संबंध विच्छेद करने का निर्णय लिया है, इसीलिए हमारे पक्षकार द्वारा अपने पुत्र सचिन मित्तल और पुत्रवधु सीमा को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से आज दिनांक से बेदखल कर दिया है, इसीलिए आज दिनांक के बाद से कोई भी व्यक्ति, बैंक, फर्म, फाइनेंस कम्पनी इत्यादि किसी भी प्रकार का संव्यवहार व लेन-देन हमारे पक्षकार के पुत्र सचिन मित्तल और उसकी पत्नी सीमा से करती हैं, तो उसके लिए सचिन मित्तल और उसकी पत्नी सीमा को ही उत्तरदायी समझा जावे, उसका हमारे पक्षकार व उसके परिवारजनों की चल-अचल सम्पत्ति से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होगा, एवं हमारे पक्षकार के पुत्र सचिन मित्तल और उसकी पत्नी सीमा यदि आपस में भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई-झगडा या अन्य वाद-विवाद करते है, तो उसके लिए उन्हें स्वयं ही पारस्परिक जिम्मेदार समझा जावे, उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए हमारे पक्षकार व उसके परिवारजनों पुत्री और दामाद को अनावश्यक परेशान न किया जावे। अतः सर्वसाधारण सूचित हो।
दिनांक : 26.02.2026

प्रेषिक
सूरज कुमार राजौरिया
(1389/16) (एडवोकेट)
कार्या. 370 सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) मो. 9893604323

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार प्रिन्स कुमार राय पुत्र श्री रामाकान्त राय ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट क्र. 51 स्थित ग्राम मलखानपुरा तहसील बामौर जिला मुरैना में है जो कि सर्वे क्र. 264/1 का भाग 1350 वर्गफुट। जिसका पटवारी हल्का नं. 00046 है, जो मेरे पक्षकार की क्रयशुदा सम्पत्ति है। मेरे पक्षकार के विक्रेता भूपेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री हरीसिंह गुर्जर एंव रामनिवास सिंह है पुत्र श्री रामाधार सिंह की क्रयशुदा सम्पत्ति ई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र.एम पी 25792021 ए1010183 तारीखी 04.01.2021 में श्रीमती हक्कन बेगम पत्नी श्री आजाद, श्रीमती मुमताज, श्रीमती बल्ला, श्रीमती मुन्नीबाई से क्रय किया। मेरे पक्षकार के द्वारा क्रयशुदा सम्पत्ति की चतुरसीमा निम्नानुसार है:- पूर्व में - प्लॉट क्र. 19 व 20 पश्चिम में-रोड, उत्तर में-अन्य सम्पत्ति दक्षिण में-प्लॉट नं. 48 जिसका कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट है। लेकिन मेरे पक्षकार प्रिन्स कुमार राय पुत्र श्री रामाकान्त राय की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता रामनिवास सिंह पुत्र श्री रामाधार सिंह के द्वारा विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंशर को कोई या विक्रेता के सहभागीदार भूपेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री हरीसिंह गुर्जर किसी भी सदस्य को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और मेरा पक्षकार अचल सम्पत्ति प्लॉट क्र. 51 जिसका कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट को बधंक रखकर हाउसिंग लोन की सुविधा पी. एन. बी. एच.एफ. एल. ग्वालियर से आवंटित करा रहा है, जो सुचित हो।
दिनांक 26.02.2026
स्थान-ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिर्क संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था बैंक के यहां से गृह ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो कि विचाराधीन है। सम्पत्ति जो कि पाल्म वर्ल्ड सिटी ग्राम जगनापुरा वार्ड क्रमांक 06 जिला ग्वालियर के भूमि सर्वे क्रमांक 87/2, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105/1, 111/1, 112/1, 114/1, 226, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 334 कुल रकवा 4.7897 हैक्टेयर के भाग तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित उसके भाग पर प्रदान किया जा रहा है उपरोक्त सम्पत्ति विक्रेता मेसर्स गुड एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड, निदेशक श्री तरूण गोयल पुत्र श्री अशोक गोयल, 2. श्री तरूण गोयल पुत्र श्री अशोक गोयल की क्रयशुदा सम्पत्ति है जो कई विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया गया है उसमें से वसीयत क्रमांक 65 दिनांक 02-05-1998 के द्वारा गुरूदयाल की मृत्यु उपरांत रंजीत सिंह को प्राप्त सम्पत्ति भी शामिल है किन्तु गुरूदयाल का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है लेकिन रंजीत सिंह का राजस्व में नामांतरण प्रकरण क्रमांक 66/03-04/ए-6 आदेश दिनांक 26-03-2004 के द्वारा हो चुका है। अतएव इस आम सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में मृतक गुरूदयाल का कोई भी वैध वारिसारन, कोई भी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था प्राईवेट फाइनेंसर आदि को किसी भी प्रकार की संम्पत्ति को बंधक रखने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मय दस्तावेजों के लिखतम आपत्ति मेरे कार्यालय में दर्ज करावे। अवधि उपरांत म0प्र0 ग्रामीण बैंक शाखा मुख्य ग्वालियर द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति को सभ्यंक बंधक रखकर ऋण दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। अवधि के उपरांत कोई भी की गई आपत्ति या कार्यवाही शून्यवत होगी।

प्रेषक
प्रशांत माथुर (एडवोकेट)
मो. 9039124191

राज्य पात्रता परीक्षा एक मार्च को

ग्वालियर 26 फरवरी. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात राज्य पात्रता परीक्षा ग्वालियर में बनाए गए 39 परीक्षा केन्द्रों पर रविवार 01 मार्च को होगी। इस दिन यह परीक्षा प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। इस परीक्षा में 12 हजार 449 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये कलेक्ट्रेट के कक्ष क्र.-113 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। परीक्षा के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी संयुक्त कलेक्टर विनोद सिंह को सौंपी गई है। सेवानिवृत्त आईएएस महेन्द्र सिंह भिलाला व एन एस भटनागर को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ग्वालियर जिले के लिये पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर 0751-2446214 है। यह कंट्रोल रूम 01 मार्च को प्रातः 8 बजे से परीक्षा समाप्ति तक संचालित रहेगा। कलेक्ट्रेट के अधीक्षक श्री आई आर भगत (मोबा. 94251-35143) को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है। कंट्रोल रूम में परीक्षा से संबंधित शिकायतें व सुझाव दर्ज कराए जा सकेंगे। सेट परीक्षा में भाग ले रहे परीक्षार्थियों को जूते-मोजे पहनकर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकेंगे। इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन व घड़ी, बेल्ट, बालों में बांधने वाले क्लचर, बक्कल, हाथ के बैंड इत्यादि वस्तुयें परीक्षा केन्द्र में ले जाना वर्जित रहेगा।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती भारती पत्नी श्री मुकेश सिंह की एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र. 08, बामोर गांव ग्राम बामोरकलाँ, तहसील बानमोर व जिला मुरैना के सर्वे क्र. 330 /3 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- आम रास्ता, पश्चिम में- रास्ता 15 फुट चौड़ा, उत्तर में- भूमि दीगर, दक्षिण में- प्लाट विजय सिंह व कुल क्षेत्रफल 595 वर्गफुट हैं। मेरे पक्षकार द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संपत्ति का विक्रय पत्र विलेख जिसे पूर्व विक्रेता स्वामी श्री भगीरथ पुत्र श्री छिद्दीराम द्वारा श्री राकेश पुत्र श्री चोखेलाल को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र. 2011 एवं ग्रंथ क्रमांक 8666 व दिनांक 29-05-2012 तथा साथ ही पूर्व विक्रेता स्वामी श्री राकेश पुत्र श्री चोखेलाल द्वारा श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री रामकृष्ण को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र. 3089 एवं ग्रन्थ क्र. 9546 व दिनांक 05-09-2014 से विक्रय किया गया था के मूल दस्तावेज गुम हो गए हैं जिसकी सूचना सम्बंधित पुलिस कार्यालय (चौकी) को दी जा चुकी है जिसके तारतम्य में उक्त संपत्ति के मूल दस्तावेज जिस किसी भी सज्जन व्यक्ति विशेष को मिले कृपया नीचे दिए गए पते पर तुरंत सूचित करें। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 26.02.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान नरेंद्र सिंह पुत्र श्री कोक सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का क्र. 89, ग्राम सुनारपुरा खालसा एवं तहसील मुरार व जिला ग्वालियर के सर्वे क्र. 7/2/1 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- खेत महेंद्र, पश्चिम में- प्लाट श्रीमती राजा बेटी, उत्तर में- आम रास्ता, दक्षिण में- प्लाट दीगर व कुल क्षेत्रफल 765 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्री रतन सिंह व सरदार सिंह पुत्रगण श्री प्यारे एवं कित्तोया, मुल्लो बाई पुत्रियाँ श्री प्यारे के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है जिसमें से श्री रतन सिंह के फोत उपरांत उनके वारिसों के नाम राजस्व विभाग के दस्तावेजों में दर्ज हैं। तदुपरांत केवल श्री कदम सिंह, राधाकृष्ण, नरेंद्र सिंह, भान सिंह पुत्रगण श्री रतन सिंह एवं श्रीमती सरोज पत्नी स्वः श्री कोक सिंह, श्री दीपक पुत्र स्व. श्री कोक सिंह, ज्योति व रूबी पुत्रियां स्व. श्री कोक सिंह द्वारा श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री चेतराम यादव को उक्त संपत्ति के अंश भाग में से ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP142592019A1434083 व दिनांक 21.06.2019 से विक्रय की गई। तत्पश्चात श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री चेतराम यादव द्वारा उक्त संपत्ति के अंश भाग में से श्री नरेंद्र सिंह पुत्र श्री कोक सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP142592020A1118488 व दिनांक 14.02.2020 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक :- 26.02.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शीला पत्नी श्री रामविलास के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र. 47, भगत सिंह वार्ड कशीबाबा कॉलोनी महाराजपुर तक ग्राम जौरासुर्द एवं तहसील मुरैना नगर व जिला मुरैना के सर्वे क्र. 1800/1 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- भूमि विक्रेता, पश्चिम में- रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में- भूमि विक्रेता, दक्षिण में- भूमि विक्रेता व कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान छिद्दाराम पुत्र श्री मुरली के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज हैं। श्रीमान छिद्दाराम के फोत उपरांत उनके वारिसों के नाम राजस्व विभाग में दर्ज किए गये तत्पश्चात, केवल श्रीमती हरवो बाई उर्फ हरो पत्नी श्री हरीसिंह द्वारा श्रीमती शीला पत्नी श्री रामविलास को ई- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. M P 2579 2023A11635051 व दिनांक 24.03.2023 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक:- 26.02.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 43 स्थान सराफा बाजार लश्कर में स्थित है जो कि कृष्ण कुमार/लक्ष्मी कुमार के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000067955 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 3358 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मृत्यु उपरांत दिनांक... से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गाँधी मार्केट पर दिनांक 26/02/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 70/2010/48449/48430 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 26-2-2026
अनुराधा राठी,अनुपमा मित्तल, संजय बावरी, सिद्धार्थ बावरी/स्व. श्री कृष्ण कुमार बावरी
पता: सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र.
मोब: 9589122288

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वाम